झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–06 / 2019–20

1. विज्ञापन दाता का नाम :– परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि :– दिनांक 22.10.2019 को अपराह्न 4:00 बजे तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि :– दिनांक 24.10.2019 को अपराह्न 1:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 24.10.2019 को अपराह्न में 3:00 बजे
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, जामताड़ा।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :– आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, जामताड़ा।
7. कार्य का विवरण :–

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र की मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	आदिम जनजाति (पहाड़िया) गांवों में सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, **ग्राम–मिरगापहाड़ी, पं0–बानरनाचा, प्रखंड–फतेहपुर** (Turn Key के आधार पर)	15,80,624.00	31,650.00	5,000.00	3 माह
2	आदिम जनजाति (पहाड़िया) गांवों में सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, **ग्राम–बामनबांधी, पं0–बानरनाचा, प्रखंड–फतेहपुर** (Turn Key के आधार पर)	15,80,624.00	31,650.00	5,000.00	3 माह
3	आदिम जनजाति (पहाड़िया) गांवों में सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, **ग्राम–मकरंधा, पं0–बनुडीह, प्रखंड–फतेहपुर** (Turn Key के आधार पर)	15,80,624.00	31,650.00	5,000.00	3 माह
4	आदिम जनजाति (पहाड़िया) गांवों में सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, **ग्राम–फुलशहरी, पं0–आसनबेड़िया, प्रखंड–फतेहपुर** (Turn Key के आधार पर)	15,80,624.00	31,650.00	5,000.00	3 माह
5	आदिम जनजाति (पहाड़िया) गांवों में सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, **ग्राम–धसनियाँ, पं0–आसनबेड़िया, प्रखंड–फतेहपुर** (Turn Key के आधार पर)	15,80,624.00	31,650.00	5,000.00	3 माह
6	आदिम जनजाति (पहाड़िया) गांवों में सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, **ग्राम–पड़ासीँ, पं0–डुमरिया, प्रखंड–फतेहपुर** (Turn Key के आधार पर)	15,80,624.00	31,650.00	5,000.00	3 माह

8. निविदा की शर्तें www.jamtara.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पटट् पर देखा जा सकता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
जामताड़ा।

परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा।

ज्ञापांक 1613 / आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक 14–10–19

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उपरोक्त निविदा आमंत्रण सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निविदा आमंत्रण सूचना जिला के वेबसाईट पर प्रसारण कराई जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
जामताड़ा।

परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा।

H:\TENDER_FILE_2018_19\TENDER\2019_20\TENDER_ITDA_2019_06.docx

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

निविदा की नियम एवं शर्त्ते

(निविदा सं0–06 / 2019–20)

1. निविदाताओं का झारखण्ड सरकार, भवन निर्माण विभाग / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समुचित श्रेणी / प्राधिकार (यथा प्रभावी संवेदक के निबंधन / नवीकरण संशोधित नियमावली 2012) में निबंधन प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत करना होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में निबंधित निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।. इस कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र, अद्यतन आचरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र (निविदा की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष पूर्व का), पैन कार्ड, G.S.T. रजिस्ट्रेशन नंबर, अद्यतन G.S.T. Return Certificate, UCAN की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रम अनुज्ञप्ति कार्यादेश निर्गत के पश्चात् कार्यपालक अभियंता को एक माह के अंदर देना अनिवार्य होगा।
2. आयकर रिटर्न कर निर्धारण वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्ति किए जाने वाले सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम के साथ टाटा पावर / ल्यूमिनेस / इनफिल्ड / सेल / अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानक का सोलर प्लेट होना चाहिए।
4. सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में लौरेन्ट्ज या रोटोमैक के समरसेबुल पम्प होना चाहिए।
5. सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम अधिष्ठापन के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निविदादाता को पिछले तीन वर्ष का Turn Over Certificate होना चाहिए।
7. सिस्टम पर न्यूनतम पाँच वर्ष की गारन्टी होनी चाहिए।
8. निविदादाता अपने खर्च पर योजना के क्रियान्वयन स्थल पर विभाग द्वारा कार्यान्वित संबंधी शिलापट्ट कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लगाना अनिवार्य है।
9. निविदा में वैसे फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी, जिसके पास पाईप एवं अन्य जलापूर्ति से संबंधित कार्य का सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण–पत्र होगा।
10. सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम अधिष्ठापन हेतु बोरिंग में पानी भरपुर मात्रा में होना चाहिए। पानी नहीं रहने पर DW&SD के अनुसार न्यूनतम भुगतान होगा।
11. परिमाण विपत्र की स्वीकृति के आधार पर निविदा की राशि घट–बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि में परिवर्तन हो सकता है।
12. परिमाण विपत्र क्रय हेतु अद्यतन पैन कार्ड, जी.एस.टी. निबंधन, फर्म निबंधन, अद्यतन आयकर, UCAN No. एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जो उपायुक्त द्वारा निर्गत किया गया हो, की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्य आवंटन के उपरान्त संवेदक को लेवर लाईसेंस हेतु इस कार्यालय द्वारा फारम–V निर्गत किया जाएगा। तदोपरान्त उस कार्य विशेष हेतु श्रम विभाग द्वारा संवेदक को निर्गत लेबर लाईसेंस कार्य प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
14. लघुखनिज समुनदान नियमावली 1978 के नियम (10) का अनुपालन करना होगा, साथ व्यय छत लघुखनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा करना होगा, सभी व्यवहृत लघु खनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा समर्पित कार्य एम0एम0 फार्म की उपलब्धता पर ही सम्पादित कार्यों का भुगतान किया जायेगा।
15. जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है या धोखाधड़ी का मामला चल रहा हो उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
16. उद्धृत परिमाण विपत्र के मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य **भारतीय स्टेट बैंक का बैंक ड्राफ्ट** जमा करना होगा, जो परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से निर्गत (निर्गत तिथि निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि के बाद होनी चाहिए) एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जामताड़ा शाखा को भुगतेय होगा एवं जिसकी वैधता कम से कम दो माह रहना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र में यथा अंकित राशि के अनुसार निविदा अभिलेख के साथ, अग्रधन के रूप में छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र का अद्यतन निर्गम अथवा पाँच वर्षीय / तीन वर्षीय समावधि जमा के रूप

में, जो झारखण्ड राज्य के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर से निर्गत एफ0डी0/एन0एस0सी0 हो तथा परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति (Pledged) हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

18. निविदादाता को निर्देश दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर कार्य स्थल जाकर स्थल की स्थिति एवं सामग्रियों की उपलब्धता एवं दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. संवेदक को, सरकार द्वारा स्वीकृत अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित कार्यावधि के अन्दर मजदूरी बढ़ने पर उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य के लिए संवेदक को सभी सामग्रियों एवं उपस्करों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
21. निविदादाता को अपना दर परिमाण विपत्र में निर्धारित स्थान में शब्दों एवं अंकों में दर्ज करना होगा। निविदादाता परिमाण विपत्र में 10 प्रतिशत कम तक अपना दर अंकित कर सकते है, 10 (दस) प्रतिशत से कम सीमा से आगे कम दर मान्य नहीं होगा।
22. प्रत्येक निविदा के साथ एक Forwarding Letter जिसमें अग्रधन राशि निबंधन सं0 आदि की विवरणी के साथ निविदा में डाले गए सभी अन्य कागजातों की विषय सूची (Index) पृष्ठांकित कर जमा करना होगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
24. आयकर, बिक्री कर, जी.एस.टी., श्रम उपकर आदि की कटौती सरकार द्वारा समय-समय पर लागू-प्रवृत दर पर की जायेगी।
25. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सिमेंट, छड़, चिप्स, ईंट आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा सुरक्षा व्यवस्था निजी खर्च पर उन्हें करनी होगी एवं कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्ट के अनुरूप करना होगा। किसी भी सामग्री के कीमत में वृद्धि/मजदूरी में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
26. किये गये कार्यों का भुगतान निधि की उपलब्धता पर होगी।
27. सरकार द्वारा विभिन्न संहिताओं, संकल्पों, अध्यादेशों एवं परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्गत अनुदेश कार्य पर लागू होंगे तथा संवेदकों को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
28. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों एवं किये गए कार्य का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व सफाया प्रमाण-पत्र के बिना विपत्र का अंतिम भुगतान नहीं किया जायेगा। मरम्मति एवं अन्य छोटे कार्य का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार नहीं भी ली जा सकती है।
29. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त्त का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
30. कार्य स्थल पर संवेदक को साईन बोर्ड लगाना होगा।
31. कार्य स्थल पर बिजली, पानी, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधाएँ संवेदक को स्वयं करनी होगी।
32. जिस कार्य का परिमाण विपत्र अनुमोदित नहीं हो सकेगा, उस कार्य की निविदा स्थगित कर दी जायेगी।
33. जिन कार्य में छत का निर्माण/मरम्मति करनी हो, उसमें समाप्ति के पश्चात् एक बरसात के बाद या अन्य कार्य समाप्ति/हस्तांतरित के एक वर्ष पश्चात् अग्रधन की राशि विमुक्त की जायेगी।
34. संवेदक को समय-समय पर कार्य स्थल का एवं कार्य पूर्ण होने पर फोटो जमा करना अनिवार्य होगा।
35. संवेदक को निविदा के साथ समर्पित परिमाण विपत्र में स्पष्ट लिखावट एवं अन्य कागजात सुस्पष्ट, स्वहस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
36. विगत तीन वित्तीय वर्षो में संबंधित श्रेणी में सफलतापूर्वक किये गये समान प्रकृति के कृत कार्यों की कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
37. निविदा विलंब से प्राप्त होने पर कोई पत्राचार या दावा नहीं किया जा सकेगा।
38. कराये गए कार्यों का भुगतान निधि उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। इस संबंध में अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।
39. पूर्व में आवंटित कार्य बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करने वाले संवेदक को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।